कण्डिका क्रमांक – 11

पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र

इस योजना में पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। अतएव पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। भारत का राजपत्र भाग – II खण्ड़ 3 उपखण्ड (ii)संख्या 1067 नई दिल्ली वृहस्तपतिवार सितम्बर 14,2006/ भाद्व 23,1928

(अमन कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

चैक लिस्ट - II

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1067] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2006/भाद्र 23, 1928

No. 1067] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2006/BHADRA 23, 1928

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितंबर, 2006

का.आ. 1533(अ).—केंद्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार या संबंधित संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से गठित किए जाने वाले राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन संघ मंत्रिमंडल द्वारा 18 मई, 2006 को अनुमोदित राष्ट्रीय पर्यावरण नीति और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के उद्देश्यों के अनुसार जब तक पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अभिलिखित नहीं हो जाती है, भारत के किसी भाग में, नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों पर या इस अधिसूचना की अनुसूची में यथा उपवर्णित उनके सक्षम पर्यावरणीय समाघातों पर विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तार या आधुनिकीकरण पर कतिपय निर्बंधन और प्रतिषेध अधिरोपित करने के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन एक प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, का0आ0 सं0 1324(अ), तारीख 15 सितंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 15 सितंबर, 2005 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और ऊपर उल्लिखित प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त सभी आपेक्षों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने सम्यक् रूप से विचार कर लिया है ;

2900 GI/2006

अनुसूची

(पैरा 2 और 7 देखें)

पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली परियोजनाओं या क्रियाकलापों की सूची

क्र सं.	परियोजना या क्रियाकलाप	अवसीमा सहित प्रवर्ग क	ख	शर्तें, यदि कोई हों
1	खनन, प्राकृतिक संसाधन का निष्कर्षण और विद्युत उत्पादन विनिर्दिष्ट उत्पादन क्षमता के लिए)			
1	2	3	4	5
1(क)	खनिज का खनन	खनन पट्टा क्षेत्र का ≥50 है0 किसी भी खनन क्षेत्र का ध्यान दिए बिना ऐस्बैस्टज खनन	< 50 हैक्टेयर ≥ 5 हैक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र	साधारण शर्त लागू होगी टिप्पण खनिज पदार्थों के पूर्वेक्षण (जिसमें ड्रिलिंग न हो) को छूट दी गई है बर्शते कि वास्तविक सर्वेक्षण के लिए छूट वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमति ली गई है ।
1(ख)	अपतट और तटवर्ती तेल तथा गैस की खोज, विकास और उत्पादन	सभी परियोजनाएं		टिप्पण सार खोज सर्वेक्षण (जिसमें ड्रिलिंग न हो) को छूट दी गई है बर्शते कि वास्तविक सर्वेक्षण के लिए छूट वाले क्षेत्रो की पूर्व अनुमित ली गई है ।
1(ग)	नदी घाटी परियोजनाएं	(i) ≥50 मे0वा0 जल विद्युत उत्पादन (ii)≥10,000 है0खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र	(i) <50 ≥ 25 मे0वा0 जल विद्युत उत्पादन (ii) <10,000 है0 खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र	साधारण शर्त लागू होगी
1(घ)	तापीय विद्युत संयंत्र	(कोयला लिग्नाइट और नेफ्था गैस आधारित) ≥500 मे.वा. ≥ 50 मे.वा. (पैटकोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन)	(कोयला/लिग्नाइट/नेफ्था एवं गैस आधारित) <500 मे.वा. (पैटकोक, डीजल और सभी, अन्य ईंधन)<50 मे.वा ≥5 मे वा	साधारण शर्त लागू होगी
1(ङ)	आणविक विद्युत परियोजनाएं और आणविक ईंधन का प्रसंस्करण	सभी परियोजनाएं		
2	प्राथमिक प्रसंस्करण			
2(क)	कोयला धोवनशालाएं	≥1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	<1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	साधारण शर्त लागू होगी (यदि खनन क्षेत्र के अंदर स्थित है तो प्रस्ताव का मूल्यांकन खनन प्रस्ताव के साथ किया जाना चाहिए)

अनुसूची

(पैरा 2 और 7 देखें)

पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली परियोजनाओं या क्रियाकलापों की सूची

क्र. सं.	परियोजना या क्रियाकलाप	अवसीमा सहित प्रवर्ग क	ख	शर्तें, यदि कोई हों
1	खनन, प्राकृतिक संसाधन का निष्कर्षण और विद्युत उत्पादन (विनिर्दिष्ट उत्पादन क्षमता के लिए)			
	2	3	4	5
1(क)	खनिज का खनन	खनन पट्टा क्षेत्र का ≥ 50 हे. [illegible] खनन क्षेत्र का [illegible] बिना [illegible] खनन	< 50 हे. [illegible] ≥ 5 हेक्टेयर [illegible] क्षेत्र	सामान्य शर्तें लागू होंगी [illegible] विचारणा [illegible] पदार्थों को पूर्वेक्षण [illegible]
1(ख)	अपतटीय और तटवर्ती तेल तथा गैस की खोज, विकास और उत्पादन	सभी परियोजनाएं		[illegible]
1(ग)	नदी घाटी परियोजनाएं	(i) ≥ 50 मे.वा. जल विद्युत उत्पादन (ii) ≥ 10,000 हेक्टेयर कृष्य कमान क्षेत्र	(i) < 50 ≥ 25 मे.वा. जल विद्युत उत्पादन (ii) < 10,000 हे. कृष्य कमान क्षेत्र	[illegible]
1(घ)	तापीय विद्युत संयंत्र	(कोयला/लिग्नाइट और नेफ्था गैस आधारित) ≥ 500 मे.वा. ≥ 50 मे.वा. (पेटकोक, डीजल और अन्य अन्य ईंधन)	(कोयला/लिग्नाइट/नेफ्था एवं गैस आधारित) < 500 मे.वा. (पेटकोक, डीजल तथा अन्य अन्य ईंधन) < 50 मे.वा. ≥ 25 मे.वा.	सामान्य शर्तें लागू होंगी
1(ङ)	नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं और नाभिकीय ईंधन का प्रसंस्करण	सभी परियोजनाएं		
2	प्राथमिक प्रसंस्करण			
2(क)	कोयला धोवनशालाएं	≥ 1 मिलियन टन/वार्षिक कोयले का उत्पादन	< 1 मिलियन टन वार्षिक कोयले का उत्पादन	[illegible]

2(ख)	खनिज सज्जीकरण	≥ 0.1 मिलियन टन/ वार्षिक खनिज का उत्पादन	< 0.1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	साधारण शर्तें लागू होंगी अनापत्ति प्रदान करने के लिए खनन प्रस्ताव को खनिज सज्जीकरण के साथ ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए
		सामग्री उत्पादन		
3(क)	धातुकर्म उद्योग (लौह एवं अलौह)	क) प्राथमिक धातुकर्म उद्योग सभी परियोजनाएं ख) स्पंज आयरन विनिर्माण ≥ 200 टन प्रति दिन ग) गौण धातु कर्म प्रसंस्करण उद्योग सभी विषाक्त और भारी धातु उत्पादित करने वाली इकाइयां ≥ 20,000 टन/ वार्षिक	स्पंज आयरन विनिर्माण < 200 टन प्रति दिन गौण धातु कर्म प्रसंस्करण उद्योग 1) सभी विषाक्त और भारी धातु उत्पादित करने वाली इकाइयां < 20,000 टन/ वार्षिक 2) अन्य सभी विषरहित गौण धातुकर्म प्रसंस्करण उद्योग > 5000 टन /वार्षिक	स्पंज आयरन विनिर्माण के लिए साधारण शर्तें लागू होंगी।
3(ख)	सीमेंट संयंत्र	उत्पादन क्षमता ≥ 1.0 मिलियन टन	सभी उत्पादन क्षमता < 1.0 मिलियन टन यह सभी स्टैंडअलोन ग्राइंडिंग इकाइयों के लिए लागू है	साधारण शर्तें लागू होंगी
		सामग्री प्रसंस्करण		
4(क)	पेट्रोलियम रिफाइनिंग उद्योग	सभी परियोजनाएं		
4(ख)	कोक भट्टी संयंत्र	≥ 2,50,000 टन वार्षिक	< 2,50,000 एवं ≥ 25,000 टन वार्षिक	
4(ग)	एस्बेस्टस मिलिंग और एस्बेस्टस आधारित उत्पाद	सभी परियोजनाएं		
4(घ)	क्लोर-क्षार उद्योग	उत्पादन क्षमता ≥ 300 टन प्रति दिन या अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा से बाहर अवस्थित इकाइयां	उत्पादन क्षमता < 300 टन प्रति दिन और अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा में अवस्थित इकाई	विनिर्दिष्ट शर्तें लागू होंगी किसी नए पारा सेल आधारित संयंत्र की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और इस अधिसूचना द्वारा झिल्ली सेल प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करने वाली विद्यमान इकाई को छूट प्राप्त है।

	उद्योग			
5(ञ)	चीनी उद्योग		गन्ना पेरने की क्षमता ≥ 5000 टन दैनिक	सामान्य शर्तें लागू होंगी
5(ट)	प्रेरण/चाप भट्टी/कुपोला भट्टी 5 टन प्रति घंटा या अधिक		सभी परियोजनाएं	सामान्य शर्तें लागू होंगी
6	सेवा सेक्टर			
6(क)	राष्ट्रीय उद्यानों/ अभयारण्यों/ प्रवाल भित्तियों/ एल एन जी टर्मिनल सहित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरने वाली तेल और गैस परिवहन पाइप लाइन (अपरिष्कृत और परिष्कृत /पेट्रो रसायन उत्पाद)	सभी परियोजनाएं		
6(ख)	एकल भंडारकरण और परिसंकटमय रसायन की संचालना (एम एस आई एच सी नियम, 1989 और 2000 की संशोधित अनुसूची 2 और 3 के स्तंभ 3 में उपदर्शित अवसीमा योजना परिमाण के अनुसार)		सभी परियोजनाएं	सामान्य शर्तें लागू होंगी
7	पर्यावरणीय सेवाओं सहित भौतिक अवसंरचना			
7(क)	विमानपत्तन	सभी परियोजनाएं	-	-
7(ख)	सभी पोत भंजन यार्ड जिसमें पोत भंजन इकाई भी सम्मिलित है	सभी परियोजनाएं		
7(ग)	औद्योगिक सम्पदा/पार्क/परिसर/ क्षेत्र/निर्यात प्रसंस्करण जोन(नि.प्र.जो.) विशेष आर्थिक जोन(वि.आ.जो.) जैव प्रौद्योगिकी पार्क चमड़ा परिसर	प्रस्तावित औद्योगिक संपदा में यदि एक भी उद्योग श्रेणी क के अंतर्गत आता है तो पूरे औद्योगिक क्षेत्र को श्रेणी क ही समझा जाएगा चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो 500 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र की औद्योगिक संपदाएं और जिनमें कम से कम एक श्रेणी ख का उद्योग स्थित हो	औद्योगिक संपदाएं और जिनमें कम से कम एक श्रेणी ख का उद्योग स्थित है और क्षेत्र < 500 हेक्टेयर हो. औद्योगिक संपदाएं क्षेत्र > 500 हेक्टेयर और जिनमें श्रेणी क या ख श्रेणी का कोई उद्योग नहीं है	विशेष शर्त लागू होंगी टिप्पणी 500 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की औद्योगिक संपदाओं जिनमें क या ख श्रेणी का कोई उद्योग नहीं है को मंजूरी की आवश्यकता नहीं है
7(घ)	सामान्य परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार भंडारकरण और निपटान सुविधाएं (सा.प.अ.नि.सु.)	सभी एकीकृत सुविधाएं जिनमें भस्मीकरण और भूमिभरण या केवल भस्मीकरण शामिल है	केवल भूमि भरण वाली सभी सुविधाएं	सामान्य शर्तें लागू होंगी

7(ङ)	पत्तन, बंदरगाह	≥ 5 मिलियन टन वार्षिक स्थोरा की चढ़ाई-उतराई की क्षमता (मत्स्य बंदरगाह से भिन्न)	< 5 मिलियन टन वार्षिक स्थोरा की चढ़ाई-उतराई की क्षमता और मत्स्य/बंदरगाह में ≥ 10,000 टन वार्षिक मछली उतारने की क्षमता	साधारण शर्त लागू होगी
7(च)	राजमार्ग	1) नए राष्ट्रीय राजमार्ग; और 2) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है और एक से अधिक राज्यों से गुजरते हैं।	1. नए राज्य राजमार्ग; और 2) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबे राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण 25 मीटर से ज्यादा है।	साधारण शर्त लागू होगी
7(छ)	आकाशी रज्जु मार्ग		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
7(ज)	सामान्य बहि:स्राव उपचार संयंत्र (सा.ब.उ.सं.)		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
7(झ)	नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं (न.ठो.अ.प्र.सु.)		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
8		भवन/संनिर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और टाउनशिप		
8(क)	भवन एवं संनिर्माण परियोजनाएं		≥ 20000 वर्ग मी. के निर्मित क्षेत्र और < 1,50,000 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र में #	# आच्छादित संनिर्माण के लिए निर्मित क्षेत्र आच्छादित; खुली सुविधाओं की दशा में यह क्रियाकलाप क्षेत्र होगा।
8(ख)	नगरी और क्षेत्र विकास परियोजनाएं		≥ 50 हे. क्षेत्र को आच्छादित करते हुए और या निर्मित क्षेत्र ≥ 1,50,000 वर्ग मीटर ++	++ 8(ख) के अंतर्गत सभी परियोजनाओं को ख 1 श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

टिप्पण

साधारण शर्त (सा.श.)

श्रेणी 'ख' में विनिर्दिष्ट किसी परियोजना या क्रियाकलाप को श्रेणी 'क' माना जाएगा यदि वह : (i) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र; (ii) उसको समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है; (iii) पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित है; और (iv) अंतर-राज्यिक सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से दस किलोमीटर के भीतर संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अवस्थित है।

विनिर्दिष्ट शर्त (वि.श.)

यदि कोई मद 4(घ), 4(च), 5(ङ), 5(च) जैसी सम्पूर्ण की प्रकार का उद्योगों वाला औद्योगिक संपदा/कॉम्प्लेक्स/निर्यात प्रसंस्करण जोन/विशेष आर्थिक जोन/जैव प्रौद्योगिकी उद्यान/चमड़ा परिसर या पूर्व निर्दिष्ट [illegible] विनिश्चय नहीं कि वे सम्पूर्ण हों, पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करते हैं, तो ऐसी संपदाओं/कॉम्प्लेक्सों के भीतर [illegible] उद्योगों सहित किन्हीं उद्योगों को तब तक पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति लेना अपेक्षित नहीं है जब तक कि औद्योगिक कॉम्प्लेक्स/संपदा के लिए निबंधनों और शर्तों का अनुपालन नहीं करते [illegible] ऐसी संपदा/कॉम्प्लेक्सों की पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की निबंधनों और शर्तों के लिए [illegible] उत्तरदायित्व [illegible] के लिए [illegible] अभिकरण का स्पष्ट रूप से पहचान करने का प्रबंध होगा [illegible] सकेगा।

[फा. सं. जे-11013/56/2004-आईए.II(I)]

आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव